

मास्क न लगाने पर अभी तक 156 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल भेजा

दैनिक अव्यक्तिका ▶ रतलाम

कोरोना को लेकर जारी गाइड लाइस का उल्लंघन कर मास्क का उपयोग न कर लोक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों के विरुद्ध रतलाम पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस द्वारा भी गई जानकारी के अनुसार प्रायः देखने में आया है की

कुछ लोग ज्ञान होने के बावजूद मास्क के उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। कोविड-19 बीमारी को द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश पारित कर रतलाम शहर में धारा 188 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1903 लागू की गई है

। जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। परंतु फिर भी कुछ लोगों द्वारा नियमों की अनदेखी कर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर लोक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। इस दिशा में कठोर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल में निरुद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है।

लापरवाही न बरते दरोगा मोहसीन-इब्राहिम निलंबित

रतलाम। सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 38 में गंदगी पाये जाने पर निगम अग्रयुक्त सोमनाथ झारिया ने दरोगा मोहसिन इब्राहिम को निलंबित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु ज्ञान प्रभावी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को निलंबित व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही जा रही है जिसके तहत वार्ड क्रमांक 37 के दरोगा मोहसीन-इब्राहिम को निलंबित किया गया।

29/3/21 - 5

लॉकडाउन: दूसरे दिन पुलिस की सख्ती... 156 को ओपन जेल

रतलाम। रविवार को दूसरे दिन भी शहर में संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहा। रविवार को लोग बेवजह सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुबह शीतला सभमी का पूजन करने महिलाएं भी धरों से बाहर निकलती दिखाई दी है। लॉकडाउन को लेकर लापरवाही करने वाले लोगों को नसीहत देने के लिए एक बार फिर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और शहर में अब तक 156 लोगों को हिरासत में लेकर ओपन जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि रतलाम जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिसकी वजह से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं भी गड़बड़ने लगी हैं। लेकिन लापरवाही करने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं।

कोरोना को लेकर जारी गाइड लाईंस का उल्लंघन कर



मास्क का उपयोग न कर लोक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली के विरुद्ध रतलाम पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रायः देखने में आया है कि कुछ लोग जान होने के बावजूद मास्क के उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। जबकी कोविड -19 बीमारी को डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक

महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमांक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू की गई है।

जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है।

परंतु फिर भी कुछ लोगों द्वारा नियमों की अनदेखी कर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर लोक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। इस दिशा में कठोर कार्यवाही करते हुए प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए, मास्क का उपयोग न करने वालों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल में निरुद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक शहर में कार्यवाही कर कुल 156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अस्थायी जेल में निरुद्ध किया गया है। स्टेशन रोड थाना परिसर में बनाई गई अस्थायी जेल में लापरवाही बरतने वालों को कुछ घंटे के लिए हिरासत में रखकर मास्क पहनने की शपथ दिलाने के बाद रिहा किया गया है।

नरेश्वर - 5

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने खुद नाली साफ करके खोली सफाई की पोल, दरोगा निलंबित

रतलाम। स्वच्छता अभियान को के बड़े बड़े दावे करने के बाद निगम की सफाई व्यवस्था में झोल की पोल कल पूर्व नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शैरानी ने खोली। वार्ड ३७ में दरोगा और सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से नलिया जांम मिसली तो शैरानी ने खुद ही अपने हाथों से नाली साफ करना शुरू कर दी। इसके साथ ही शिकायत सीधे कमिश्नर को की। कमिश्नर ने शिकायत पर वार्ड दरोगा मोहसीन इब्राहिम को तत्काल निलंबित कर दिया। इसके साथ ही निगम कमिश्नर ने कहा कि सफाई व्यवस्था में यदि निगम अमला लापरवाही करता है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे।

नरेश्वर - 5

प्रदेश • एक्टिव केस 21 हजार पार, 14 की मौत

भोपाल | प्रदेश में रविवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 4 हजार के करीब पहुंच गया। पहली बार एक ही दिन में 3966 मरीज मिले। जबकि 14 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अब 8वां राज्य बन गया है, जहां सबसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अब तक वह 9वें नंबर पर था। गुजरात भी अब उससे पीछे है। प्रदेश में एक्टिव केस 21715 हो गए हैं, जो 4 मई को 3308 थे।

45 पार वालों को ही टीका- अब 45 साल और उससे अधिक उम्र वाले लोगों को ही टीके लगाए जाएंगे। अब कोविन पोर्टल पर फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स की श्रेणी को ही हटा दिया गया है। हालांकि जिन्हें पहला टीका लग चुका है, वे 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज ले सकेंगे।

लॉकडाउन • पूरे प्रदेश में नहीं करेंगे : सीएम

इस बीच, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं रहेगा। लंबा लॉकडाउन भी नहीं होगा, सिर्फ कुछ शहरों में रविवार का लॉकडाउन है। छिद्वाड़ा और बैतूल में दो या तीन दिन का लॉकडाउन रखा है। जरूरत पड़ी तो कुछ जिलों में रविवार का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ वालों को भी जांच के बाद ही प्रवेश- महाराष्ट्र की सीमाएं सील करने के बाद अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी जांच के बाद ही मध्य प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। सामान्य आवाजाही बंद रहेगी। इसके अलावा राजस्थान की सीमा से आने वालों पर भी निगरानी रखी जाएगी।

संक्रमण बेकाबू • मध्य में 3966 नए संक्रमित, भोपाल में 547, इंदौर में 788 मरीज मिले रतलाम में 85 नए पॉजिटिव, दो की मौत, अप्रैल के 4 दिन में 7 ने तोड़ा दम

भारत संवाददाता | रतलाम

अभी वक़्त है संभल जाओ... भक्तन की बावड़ी शमशान फुल, चिता जलाने के लिए भी करना पड़ा इंतजार

रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रविवार को एक साथ 85 नए संक्रमित सामने आए हैं। इनमें बाल संरक्षण गृह के दो अपचारी, वहीं जिला जेल के 5 कैदी भी शामिल हैं। इधर, अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5800 के पार पहुंच गया है।

जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। रविवार को एकसाथ 85 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। संक्रमितों में 7 साल के बच्चे से लेकर 84 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। जेल के सभी कैदी 1 से 4 अप्रैल के बीच जेल में गए थे। उन्हें अलग कमरे में रखा गया था। बाल संरक्षण गृह के अपचारी और जेल के कैदी को मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। जिले में अब कुल संक्रमित की संख्या 5842 हो गई है।

जिले में अब तक 99 मौत- इधर, जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार को दो लोगों ने दम तोड़ दिया। तेजा नगर की 69 साल की महिला और लोहार रोड की 70 साल की महिला की मौत हो गई। जिले में अप्रैल महीने के 4 दिन में 7 लोग दम तोड़ चुके हैं।



यह तस्वीर बड़ा संदेश दे रही है... अब भी वक़्त है संभल जाओ। रविवार को भक्तन की बावड़ी शमशान में 6 कोरोना संदिग्ध लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इन शवों को मेडिकल कॉलेज से लाया गया था। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद लोगों ने पीपीई किट पहन रखी थी। शमशान पूरी तरह फुल हो गया, ऐसे में कुछ लोगों को इंतजार भी करना पड़ा। शमशान के कर्मचारियों ने बताया 1 अप्रैल के बाद से शव की संख्या लगातार बढ़ रही है।

5/5/21

हर दिन लगभग 80 मरीज आ रहे सामने, सड़कों पर घूमने वालों को रोक चालानी कार्रवाई

52 घंटे का टोटल लॉकडाउन छूटा, अब मास्क-डिस्टेंस से रखना नाता



पत्रिका लाइव रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com

रतलाम जिले में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच दो दिन तक शहरवासियों को परेशानियों में लॉक हो करना पड़ा। लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को भी जिन्हें रतलाम के बाहर जाना था या फिर जो लोग बाहर से आए थे। जाने वाले लोगों के लिए बस से नहीं थी और रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्रियों को पैदल आना पड़ रहा था। बीते दो दिनों की परेशानियों के बाद आज राहत का सोमवार रहेगा जिसमें लोग घरों से बाहर निकाल जरूरत का सामान खरीद सकेंगे।

यात्रियों को हुई परेशानी

लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का परिवहन अचानक से बंद किए जाने से सबसे ज्यादा परेशानी शहर से बाहर जाने वाले उन यात्रियों को होने लगी है जिन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेनों का भी सहारा नहीं है। यात्री बसों के इंतजार में बस स्टैंड पहुंचे कुछ यात्री वहीं बैठकर बसों का इंतजार करते रहे लेकिन वह नहीं आई जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बंद के दौरान राजस्थान रोडवेज की बसों की आवाजाही चालू रही।

टीकाकरण के लिए लगी कतार

रविवार के अवकाश और लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए केंद्रों पर पहुंचे। दरअसल 45 वर्ष से अधिक



वैक्सिन लगवाने के लिए बाल चिकित्सालय में कतारबद्ध होकर बैठे लोग।



कालिका माता अन्न क्षेत्र में भोजन के लिए लगी कतार।

उम्र के सभी लोगों को टीका लगाए जाने की छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने आधार कार्ड लेकर टीका लगवाने के लिए केंद्रों पर पहुंचे। टीकाकरण के लिए सबसे अधिक भीड़ बाल चिकित्सालय परिसर में नजर आई। यहां दोपहर में गर्मों के बीच लोग कतार में बैठकर अपने नंबर का इंतजार करते रहे। जिस स्थान पर टीकाकरण के लिए आए लोगों को बिठाया गया था, वहां लगे 10 पंखों में से सिर्फ एक ही चालू था शेष बंद पड़े थे।

चालान बनाएं और धूप में खड़ा रखा

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए शहर की सड़कों पर बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों को रोक पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। जगह जगह मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब वाहन चालकों को रोक उनसे सड़क पर आने का

कारण पूछा तो कोई कुछ बहाना तो बनाता नजर आ तो कोई कुछ और बात कहता दिखाई दिया। पुलिस के सामने झूठ पकड़ा जाने पर पुलिस ने उक्त वाहन चालकों के चालान बनाए और उन्हें अस्थाई जेल में रखा। कुछ स्थानों पर तो सड़क किनारे ही लोग खड़े नजर आए।

अन्न क्षेत्र में लगी कतार

शहर में बीते 2 दिनों से लॉकडाउन के चलते सड़क पर रात गुजारने वाले लोगों की सबसे ज्यादा फजीहत हुई है। ऐसे लोग खाने की तलाश में कालिका माता परिसर स्थित अन्य क्षेत्र पहुंचे तो वहां पर खाना लेने वालों की लंबी कतार लग गई। भूखे लोगों के चेहरों पर उस समय मुस्कान आ गई जब हाथ में अन्न आ गया जिसे पाकर वहां आए लोग कतार से हटकर एक तरफ जाकर बैठ भोजन करते नजर आए।

रतलाम में कोरोना से अब तक 99 मौत, शहर के मुक्तिधाम में इंतजार एक दिन में 15 का शवों का हुआ अंतिम संस्कार

रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच मौत का आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार हो रही मौतों के चलते मुक्तिधाम में जगह भी अब कम पड़ने लगी है। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 99 पर पहुंच गया है। रविवार को आई रिपोर्ट में दो और मौत की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त 85 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 5842 पहुंच गई है।

लगातार हो रही मौतों के बाद अब शहर के मुक्तिधाम भी हाउसफुल हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को शहर के भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम में देखने को मिला जहां सुबह से शाम तक सात शव का अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी बात यह है कि जिन शवों का अंतिम संस्कार किया गया उनमें से अधिकांश कोरोना संदिग्ध होना बताया जा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। शहर के तीनों मुक्तिधाम में इस दिन कुल 15 शवों

का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों में चिंता

शहर के मुक्तिधाम में एक साथ चिताएं जल्दी देख हर कोई दंग रह गया। दरअसल बीते कुछ दिनों से शहर के मुक्तिधाम की चर्चा पूरे शहर में चल रही है कि हर दिन यहां पर बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरअसल मुक्तिधाम के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने भी पहले कभी कुछ समय के अंतराल में एक साथ इतने शव का अंतिम संस्कार होते नहीं देखा।

यहां 4-4 शवों का अंतिम संस्कार हुआ

शहर के जवाहर नगर और त्रिवेणी मुक्तिधाम पर रविवार को चार-चार शवों का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इन दोनों मुक्तिधाम पर जिन शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, वह कोरोना संदिग्ध नहीं थे लेकिन बीते कुछ दिनों से शहर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसे देख जहां भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो पहली चर्चा यहीं रहती है कि मौत कहीं कोरोना से तो नहीं हुई।

डीजल के लिए भटका शव वाहन

प्रशासनिक आदेशों को लेकर हर दिन किसी न किसी तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंपों को बंद कराए जाने पर कुछ पंप संचालकों ने तो ईमानदारी दिखाकर बंद कर

दिया लेकिन पुलिस के अपने पेट्रोल पंप सहित बाहर के कुछ अन्य पेट्रोल पंप चालू नजर आए। प्रशासन के इस आदेश के चलते एक शव वाहन भी पंप बंद होने से डीजल के लिए इधर-उधर भटकना रहा।

मिडिया

निजी अस्पतालों में होगा कोरोना संदिग्धों का उपचार

कलेक्टर ने बैठक में दिए निर्देश, प्रतिदिन देना होगी मरीजों की जानकारी, गाइड लाइन का पालन करना जरूरी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ने व संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना संदिग्धों का उपचार किया जाएगा। इसके लिए तब गाइडलाइन का पालन अस्पताल संचालकों को करना होगा। रविवार को कलेक्टर गोपालचंद्र राठ ने शहर के सभी निजी अस्पतालों/नर्सिंगहोम के संचालकों/डॉक्टरों को बैठक में यह निर्देश दिए।

कोरोटाइट संग्रह में अगोजित बैठक में एसडीएम रतलाम शाहर अधिकारी गौहलाल, डिप्टी कलेक्टर शिवाल जैन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभाकर नन्दावे, एसडीएम मनीषा वासन्ते, एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. गोपाल बोरिवाल व सीएमओ प्रमोद प्रजापति भी मौजूद रहे।

भाटुस हो कि गत दिनों अस्सी फीट रोड स्थित जीवांका हास्पिटल में कोरोना मरीज का अनोजिकृत रूप से इलाज करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग को और से सीएमओ ने हास्पिटल संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। इसके बाद समाजसेवी महेंद्र गहिय ने कलेक्टर को पत्र लिख निजी अस्पतालों में कोरोना संदिग्धों के उपचार के लिए व्यवस्था रख



रतलाम के दो बली क्षेत्र में पसरत रतलाम नगरपालिका। • नईदुनिया



बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर गोपालचंद्र राठ। • नईदुनिया



राम मंदिर क्षेत्र में बेकजह पूरने पर रोक-टोक करते हुए पुलिसकर्मी। • नईदुनिया



अस्पताल में करना होंगे यह इंतजाम

- अस्पताल में संदिग्ध कोविड मरीजों के लिये अलग से अइसोलेसन रूम स्टाफ एवं आने-जाने का सरल छीना आवश्यक होगा।
- निजी संस्था द्वारा फिजी मरीज को इंदौर रेफर करने से पहले यहाँ पर सर्वसिद्ध अस्पताल में बेंड रिजर्व करने के बाद ही जाए। (तक मनीर कोविड मरीजों की वृद्धि को रोकना जरूरी है।)
- निजी सभी संस्थाओं में संदिग्ध कोविड मरीजों की जांच एवं में रीजिड पंटीजन द्वारा की जाए। यदि यह मरीज निगेटिव पाया जाता है तो आरटीपीसीआर जांच कराए। मरीजों की जांच के लिए आवश्यक सभी संस्थाओं को सज्ज करवाए।

लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच कराए

इंटरनेशनल के अध्यक्ष डा. प्रदीप जैन ने बताया कि कोरोना का यह दौर पहले से ज्यादा खतरनाक और गंभीर है, इसलिए अति आवश्यक

• कोरोना संक्रमण को अगर रोकना है तो हमें पूरी सज्जानी बनानी पड़ेगी। मास्क पहनने के साथ दो गज की दूरी का पालन करना जरूरी है।

- राम नरेश शर्मा, प्रचार्य, महलौर उच्चतर माध्यमिक आस्ती



लॉक डाउन के दौरान रविवार को भी सड़कों पर रहा सन्नाटा



प्रसारण न्यूज • रतलाम

रविवार को भी सड़कें का माहौल रहा। यहां शुरुआत को रंगपंचमी के कारण सभी प्रमुख बाजार बंद रहे, शनिवार और रविवार को कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई तालाबंदी के कारण सभी बाजार बंद रहे। सड़कों पर इका-दुका लोगों की आवागमन के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। केवल दवाई की दुकानें ही थोड़ी बहुत खुली रही, बाकी दवाई की दुकानें आम तौर पर खुली रहती हैं, वह भी आज नहीं खुली। इसका कारण बताया जा रहा है कि ग्रहण के अभाव में दवाई के दुकानदार दुकानें खोलकर बच रहे।

दो दिन की तालाबंदी में शनिवार को सरकारी कार्यालय तथा बैंक खुली होने से थोड़ी बहुत चहल-पहल थी,

लेकिन रविवार को सभी कार्यालय एवं बैंक बंद होने से यह चहल-पहल कहीं नजर नहीं आई।

प्रशासन द्वारा सफ़ती किए जाने के कारण अब हर व्यक्ति मास्क लगाकर ही घर से निकल रहा है। आज उन केंद्रों पर भीड़ नजर आई जहां पर कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगए जा रहे थे। अब गली-मोहल्लों में भी कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का वातावरण बन रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला-पुरुष वैक्सीन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। शासकीय एजेंसियां एवं सामाजिक संस्थाएं भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हर व्यक्ति को प्रेरित कर रही हैं। साथ ही यह समझाईश भी दे रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति जो 45 वर्ष से अधिक आयु का है, वह कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाए।

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी भी सरकारी अधिकृत आंकड़े स्वास्थ्य विभाग से जारी नहीं हो रहे हैं। अधिकृत आंकड़ों के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कितने मरीज शनिवार को भी संक्रमित हुए और कितने मरीज मेडिकल कॉलेज के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, लेकिन यह निश्चित है कि आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है और वह 75 से अधिक हो है।

प्रशासन कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही संक्रमण के कारण मृत्यु का शिकार हो रहे लोगों के प्रति किंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अरुचर की दृष्टि से जो कड़े प्रबंध होना चाहिए वह नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों में उमचार व्यवस्था के प्रति असंतोष नजर आ रहा है।

मास्क का उपयोग करने पर अभी तक 156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल में निरुद्ध किया

रतलाम। कोरोना को लेकर जारी गाइड लाइंस का अपेक्षित रूप से मास्क का उपयोग न करना लोक स्वास्थ्य को खतरा में डालने वाला के विरुद्ध रतलाम पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस द्वारा टी गैड जालकरी के अनुसार प्रायः देखने में आया है कि कुछ लोग ज्ञान लेने के बावजूद मास्क के उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगों के स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं, जबकी कोविड-19 बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमांक 4095/आत-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है, परंतु फिर भी कुछ लोगों द्वारा जितनी ही अनदेखी कर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर लोक स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं। इस दिशा में कठोर कार्यवाही करते हुए प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मास्क का उपयोग न करने वालों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर सुली जेल में निरुद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक तक रतलाम शहर में कार्यवाही कर कुल 156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल में निरुद्ध किया गया है, जो कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

5/4/23

वैकम में कावड आफ्टर सा माफ्टन के लिए सभी निजी चिकित्सकों को बलवत्तर में निर्देश दिए कि सभी निजी संस्थाओं में जांच करने आए मरीजों के निम्ने अडमिशन (तीन स्वस्थ का संग्राम, मेज बुखार, सर्दी, जुड़ाव, पिचले 10 दिनों में नुक़आत के साथ) साथ लेने में तकलीफ़, अस्पताल में भर्ती



होने की आवश्यकता हो तो ऐसे मरीजों की जानकारी प्रतिदिन मुग़ल रीट पर दर्ज कर गुप्त में भी वें ताकि लक्षण वाले सभी मरीजों की तत्काल पहचान कर उन्हें अडमिटेड, टेस्ट और ट्रीटमेंट दिया

कोविड वैकसीनेशन को अल्पकाल बढावा देकर शत प्रतिशत वैकसीन लाभाई जा सके। सभी धरीजों का आन्तरीजन सेबुरेशन अनिवार्य रूप से चेक कर प्रपत्र में दर्ज किया जाए। जिन मरीजों का एमसीओ-2 नब्बे प्रतिशत से कम हो उन्हें तत्काल कोविड अस्पताल में रेकर

स्थापित किया जाए।

करें। यदि निजी संस्था में किसी कोविड संक्रमित मरीज का उपचार किया जाता है तो पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात ही डिस्चार्ज करें। उपचार में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए।

होने पर ही घर से बाहर निकलें। मास्क लगाए। शारीरिक दूरी का पालन करें और हाथों को बार-बार सैनिटाइज़ करें। प्राथमिक लक्षण जैसे मले में ख़राब, इलाक़ा बुखार, सर दर्द, पीठ या कमर में दर्द होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड की जांच करावाए। सम्मय की कमी के कारण जांच रिपोर्ट रकलाम में तीन से चार दिन बाद फ़ोन पर बताई जा रही है, जिसके कारण इतने दिनों में मरीज के ग़मोर होने की संभावना रहती है। साथ ही मरीज कई अन्य व्यक्तियों को भी कोरोना से संक्रमित कर देता है। ऐसे में आवश्यक है कि प्राथमिक लक्षण के बाद जांच रिपोर्ट का बंताजार नहीं करें और तुरंत ही बिकल्पक से उचित सलाह लेकर प्राथमिक इलाज प्रारंभ करें।

बढ़ते प्रमाण को रोकने के लिए शासन व स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इससे बढने के लिए हमें भी शासन-प्रासन को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।



संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनें, वैकसीन लगवाएं

रतलाम। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैकसीन आने के बावजूद टीकाकरण करने वालों की संख्या कम है। जिले की करीब 16 लाख की आबादी में 4.5 से अधिक की उम्र वालों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है। 16 जनवरी को टीकाकरण प्रारंभ होने के बाद से अभी तक सिर्फ 67900 टीके ही लगे हैं। ऐसे में टीकाकरण को गति देने की आवश्यकता है।

शहर स्थित जिले के सभी केंद्रों पर अन्वेषण के दिन भी टीके लगाए जा रहे हैं। रविवार को 2633 लोगों को टीके लगाए गए। सोमवार से शहर में केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। शहर में ही शासकीय संस्थाओं व तीन निजी हास्पिटल सहित जिले में कुल 21 केंद्रों पर टीके लगेंगे। 5500 टीकों को एक चोप रजिडार राउ जिले को मिल गई है। टीकाकरण अधिकारी डा. वर्षा कुर्तिल ने बताया कि टीका सुरक्षित है। 45 या इससे अधिक की उम्र वाले लोग टीका लगा सकते हैं।

आसन है टीका लगवाना अपने निकटस्थ केंद्र पर जाकर सिर्फ जन्म सारीख़ धराने वाली आइडी लेकर जाना है। आइडी से आनसूचक पंजीवन

कर टीका लगाना सकते हैं।

कुल 21 केंद्रों पर होगा टीकाकरण सोमवार को रतलाम में पुराना कलेक्ट्रीट, बाल चिकित्सालय, पटल कालोनी रतलाम, अस्वाकपुरी कम्युनिटी हाल, मेडिकल कालेज रतलाम, आर्यु हास्पिटल विक्टोरिया गेट, जैन काथयप सभागृह साफ़ेद रोड, गुड नामक भवन मोहन नगर, सीसीसी प्राइवेट क्लब हास्पिटल कटव नगर, आरोग्य हास्पिटल कालेज रोड, बौद्धी हास्पिटल 80 फीट रोड पर जबकि जिले में सिविल हास्पिटल अलौट व जकार, सीएचसी पीपलैव, सैलाना, नामली, पीएचसी बांगरोड, क्लिफॉक, विरमाकल, रावटी में टीकाकरण किया जाएगा।

85 नए मरीज मिले, दो की मौत रविवार को 85 नए संक्रमित केस सामने आए और दो की मौत हुई। उन तक कुल 5842 मरीज सामने आ चुके हैं और 99 की मौत हो चुकी है। 5061 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 682 है। रविवार को फ़ाइनल आए केस में जिला जेल के पांच

अजाक्स ने किया मास्क का वितरण



विलास ने मास्क का वितरण करते हुए अजाक्स जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर लक्षरी। रतलाम। नए अजाक्स द्वारा ग्राम बिलास में बाबू स्वरेड डा. भीमराव आरेडकर की शब्द में मास्क वितरित किया गया। प्राथमिक मूलभूत तत्व के प्रदेत अजाक्स सहित निम्नाने अतिथि थे। अजाक्स अजाक्स जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर लक्षरी ने की। जिला सचिव शीतलेश मिश्र विशेष अतिथि थे। बाबा

सहेब की तस्वीर पर मालाकरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बडीलाल परमार, मुकेश खरे, नमोजल नामड, सुदुल बिडवान, कालीक म्हासवयत के प्रदेत मंत्री शंकरलाल बुकले अतिथि युवा उपस्थित थे। संकलन रमेश कटारिया ने किया। आभार दर्जित चौधन ने माना।

गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। रविवार को भी कुछ लोगों द्वारा नियमों की अन्वेषी की। मास्क नहीं पहनने वालों को प्रशासन ने वंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत गिरफ़्तार कर खुली जेल में रखा। दो दिन में 156 लोगों को खुली जेल में रखकर नियमों के पालन की समझावश दी गई।

वेतजह घर से बाहर निकलना बंद करने पर ही रह पाएंगे सुरक्षित

वर्तमान समय में स्वास्थ्य ख़तरे सबसे बड़ी टकल है। जान है तो जतान है। शासन-प्रासन द्वारा अपने सर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों को भी इनमें सहयोग देना चाहिए।

शिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाजार में लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। शासन-प्रासन को कोरोना की घेन लेटने के लिए सख़त फ़ायद उठाना चाहिए।

डा. रेखा शिवन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ

हमें बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जीवन मिल रहा है। महामारी के दौर में वेतजह घर से बाहर निकलना बंद करने से ही स्थिति व दूसरे सुरक्षित रह पाएंगे।

डा. दीपन कौरी, जनरल फिजिशियन

कोरोना संक्रमण से बचना है तो मास्क पहनने में लापरवाही न बरते। बाजार में भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे व एक-दूसरे से बहा करती समय दो मीटर की दूरी का पालन करें।

डॉ. अरुण शर्मा, रोग विशेषज्ञ

उबार से निपटने से मास्क जरूर पहनें। अगर हमने कुछ सख़्तानी तोर से ही निरिधत तोर पर इस बीमारी से स्वयं को सब दूसरों को भी बचा सकते हैं। कोरोना को देउते हुए लापरवाही धरी पड़ सकती है।

डॉ. अरुण शर्मा, गार्सकीय उमाई मिपरीदा



Handwritten text in Hindi, possibly a date or signature, including '3/11'.

वार्ड दारोगा निलंबित

रतलाम, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया का वार्डों में निरीक्षण कार्य जारी है। निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर 37 में गंदगी मिलने पर वार्ड दारोगा मोहसीन इमरहित को निलंबित कर दिया। बताया दे कि आयुक्त झारिया प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक शहर में वार्डों में निरीक्षण करते हैं। इस दौरान काम से नदारत रहने वाले या गंदगी पाए जाने कर्मचारियों के वेतन काटने से लेकर निलंबन की कार्रवाई की जाती है।

मास्क का उपयोग न करने वाले 156 लोगों पर कार्रवाई

रतलाम, मास्क के उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगों के स्वस्थ को खतरे में डालने वाले 156 लोगों पर लॉक डाउन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की है। धारा 144 लागू कर मास्क लगाना अनिवार्य करना बाद भी कुछ लोगों द्वारा नियमों की अदेखी कर भस्का व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर लोक स्वस्थ को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मास्क का उपयोग न करने वालों को दंड प्रि या सखिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल में निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार अब तक रतलाम शहर में कार्यवाही कर 156 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अस्थायी जेल में निरुद्ध किया गया है।

दूसरी लहर का पहला दो दिनी लॉकडाउन खत्म : संक्रमण की रफ्तार को देखकर लेंगे आगे फैसला, फिलहाल वैक्सीनेशन पर जोर, 8 सेंटर बढ़ाए

मासूम संवाददाता | रतलाम

कोरोना को रोकने के लिए दूसरी लहर का पहला दो दिनी लॉकडाउन खत्म हो चुका है। सरकारी अमले की सख्ती के चलते रविवार को शहरवासियों घर में ही रहे। आगामी बर लॉकडाउन दो दिन का होगा या एक दिन का इसका फैसला संक्रमण की रफ्तार को देखकर लिया जाएगा।

फिलहाल प्रशासन का सारा जोर वैक्सीनेशन पर है। तेजी लाने के लिए जिले में 8 सेंटर और बढ़ा दिए हैं। सोमवार से 21 केंद्र पर टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। रविवार तक जिले के 67900 का टीकाकरण हो चुका है। इसमें 58142 को पहला, जबकि 9758 को दूसरा डोज लगाया जा चुका है।

विधायक कारखाने की पहल पर सिटी में दो और केंद्र बढ़ाए गए



सोमवार से सागोद रोड पर कारखाने सभागृह में भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। यहां सफाई की गई।

वैक्सीनेशन के लिए विधायक पौनव्य करवण की पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने सिटी में दो और केंद्र बढ़ाए हैं। इनमें शिरियाखेड़ी स्थित श्री गुरुनानक सिंघु ध्वज संत केकराम सिंघु नगर और बाजना बस स्टैंड स्थित कारखाने सभागृह है। मंडल अध्यक्ष मयूर दुर्गेवाल ने बताया सोमवार से दोनों केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा। उधर नगरे निगम कमिश्नर सोमनाथ झरिया ने भी निगम अमले को निर्देश जारी किए हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लायवर्ड, वे जल्द से जल्द लगवा लें।

आज हमारे जिले के इन केंद्रों पर किया जाएगा टीकाकरण

मिडिल हॉस्पिटल आलोट, जावरा, सोरपसी विपलीदा, सैलान, नामली, धीरचसी बंगरोद, बिलपाक, बिरमावल, रावटी, रतलाम में पुराना कलेक्ट्रेट, बल चिकित्सालय, घटला कॉलोनी, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, जवाहर नगर कम्युनिटी

हॉल, मोहकल कॉलेज, आयुष हॉस्पिटल विपोलिया गेट, जैन कारखाने सभागृह सागोद रोड, गुरु नानक भवन मोहन नगर, सीवीसी प्रहलोट श्रद्धा हॉस्पिटल काटजू नगर, आरोग्य हॉस्पिटल कॉलेज रोड, जीडी हॉस्पिटल 80 फीट रोड।

जागरूकता का कर रहे प्रयास

प्रशासन वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा है ताकि अधिकतम डोज लगाए जा सकें।

वैक्सीन वाइस डिटेल

वैक्सीन	पहला डोज	दूसरा डोज	कुल
कोविशिल्ड	53370	7865	61235
कोवैक्सीन	4772	1893	6665

आज 6880 को टीका लगाने का टारगेट

जिले में सोमवार को 6880 को टीका लगाने का टारगेट है। अब तक जिले में 13 सेंटर पर टीकाकरण किया जा रहा था। सोमवार से 21 केंद्रों पर होगा। इसमें से 8 जगह को-वैक्सीन, जबकि 13 जगह कोविशिल्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। रविवार को 2633 को टीके लगाए गए। इनमें 2569 को पहला, जबकि 64 को दूसरा डोज लगाया गया।

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डों में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर-1

प्रतिरूप न्यूज * रतलाम

कलेक्टर एवं प्रशासनिक निगम रतलाम मोहलबन्द खडव निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निदेशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है, जिसके तहत स्व स्वास्थ्य समूह को रैग पिकर्स महिलाओं को सहर में छे रेजुगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है, इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी अग्रगण्य हो चुके नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने से वार्डों की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है। नागरिक भी प्रातः अपने घरे, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सूखे कचरे पृथक्करण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है, इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक

स्थान पर छाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुष्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, रस्स, कचरा, प्लास्टिक, पेट्टी, टूटे किल्ले, प्लास्टिक अदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है, जिसका कमाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संचालित किया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्घ व ईंधन स्व स्वास्थ्य समूह रैग पिकर्स महिला, आई. ई. सी. टोप के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर अदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक्-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला।

संग्रहित किए गए सूखे कचरे को एक स्थान पर छाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा घरो में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जाएगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व

स्वच्छता समूहों को रैग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए अपने बच्चों के साथ जुलुबानिया ट्रेडिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, जॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग कफे कबाड़ी को विक्रय कर नास्वीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनने के तहत अब जुलुबानिया को रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिए निगम द्वारा एपीन, सक्सा, मास्क आदि उपलब्ध कराए गए हैं। इन वार्डों में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन, इसलिए 50 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है, इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फर्देन दल यह निगमों रखे कि इसका धरुद्धरण कहा होख है व विक्रय को-बंद करवा है। सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन भिन्न की जाकर फुटकर व्यवस्थाधियों पर 50 व दुकानदरो पर 5000 का स्टैंड फाईन किया जाए।

वार्ड 37 में गंदगी पाए जाने पर दरोगा मोहसीन-इब्राहिम निलंबित

रतलाम। सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 37 में गंदगी पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दरोगा मोहसीन इब्राहिम को निलंबित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, नाली, सार्वजनिक स्थान, जाले-जालियों आदि समुचित सफाई हेतु ज्ञान प्रभाती, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संसाधक पारबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, जाले-जालियों में कचरा पाए जाने पर संबंधितों को निलंबित व सेवा से बर्खास्त किए जाने की कार्टवासी जा रही है, जिसके तहत वार्ड क्रमांक 37 के दरोगा मोहसीन-इब्राहिम को निलंबित किया गया। निगम आयुक्त झारिया ने बताया कि वार्डों की समुचित सफाई-सफाई का दायित्व ज्ञान प्रभाती, वार्ड दरोगा व सफाई संसाधकों का दायित्व है, वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करें, यदि वार्डों में सफाई-सफाई नहीं पाए जाने पर संबंधितों को निलंबित व सेवा से बर्खास्त किए जाने की कार्टवासी की जाएगी।